	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 04, शुक्रवार, शाके 1948- अप्रेल 24, 2026 Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 18, 2025

संख्या प.9(18)राज-1/2025-26033:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील निम्बाहेड़ा** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियां को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार हैः-

क्र. सं.	**जिला / तहसील**	**ग्राम पंचायत / पंचायत समिति**	**मूल राजस्व ग्राम का विवरण**			**प्रस्तावित ग्राम का विवरण**			**दूरी KM**	**मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है.में)**
			ग्राम का नाम	**क्षेत्र फल (है. में)**	**जन संख्या 2011**	**ग्राम का नाम**	**क्षेत्रफल (है. में)**	**जन संख्या 2011**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	चित्तौड़गढ़ / निम्बाहेड़ा	जलिया / निम्बाहेड़ा	**पिपलिया कलां LG Code 101433**	**445.97**	**2027**	**प्रकाश नगर Prakash Nagar**	**70.13**	**369**	**1.5**	**375.84**
2		बरड़ा / निम्बाहे	**बोरखेड़ी LG Code 101394**	**636.21**	**626**	**ढावलिया Dhavliya**	**219.67**	**260**	**1**	**416.54**

		ड़ा								
3		जावदा / निम्बाहेड़ा	**जावदा LG Code 101413**	**1036.24**	**2171**	**कानजी का खेड़ा Kanji Ka Khera**	**69.90**	**281**	**1.5**	**966.34**
4		केली / निम्बाहेड़ा	**रठांजना LG Code 101392**	**945.29**	**1388**	**खापरिया खेड़ी Khapriya Khedi**	**235.24**	**350**	**3**	**710.05**
5		मांगरोल / निम्बाहेड़ा	**मांगरोल LG Code** 101372	**1903.41**	**4512**	**लालुखेड़ा Lalukhera**	**239.11**	**250**	**1**	**1664.30**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,
हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।